राजस्थान सरकार
निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.7(वि.जाँ.) /2025–26/ दिनांक :–

कार्यालय आदेश

संयुक्त शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर की अर्द्धशासकीय टीप सं. प.2(4)वित्त/राजस्व/2026 दिनांक 11.02.2026 के प्रस्तावानुसार संयुक्त शासन सचिव वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.5(4)वित्त/अंकेक्षण/2026 दिनांक 19.02.2026 के अनुसरण में टी.बी. अस्पताल, शास्त्री नगर, जयपुर में पदस्थापित श्री विनोद गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I के विरूद्ध भ्रष्टाचार, अवैध धन वसूली एवं फर्जी टेण्डर आवंटन की विशेष जांच हेतु निम्नानुसार विशेष जांच दल का गठन किया जाता है :–

1.	श्री भगवान सहाय मीणा,	लेखाधिकारी,	(प्रभारी, आं. जां. दल सं. 09, जयपुर)	प्रभारी
2.	श्री हेमन्त बिलाला,	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I,	(प्रभारी, आं. जां. दल सं. 07, जयपुर)	सदस्य
3.	श्री रवि मीना,	कनिष्ठ लेखाकार,	(सदस्य, आं. जां. दल सं. 09, जयपुर)	सदस्य

1. विशेष जांच कार्य संयुक्त शासन सचिव वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.5(4)वित्त/अंकेक्षण/2026 दिनांक 19.02.2026 (प्रति संलग्न) एवं संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) की अर्द्धशासकीय टीप सं. प.2(4)वित्त/राजस्व/2026 दिनांक 11.02.2026 (प्रति संलग्न) के अनुसार सम्पादित करेंगे।

2. विशेष जांच श्री विनोद गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I के कार्यकाल की निम्न बिन्दुओं पर की जानी हैः–

   I. आर.टी.पी.पी. अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पालना किये जाने के संबंध में।
   II. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं अन्य सुसंगत नियमों/प्रावधानों की पालना किये जाने के संबंध में।
   III. भुगतान बिलों को लम्बित रखें जाने एवं बिलों में अनावश्यक आक्षेप लगाये जाने के संबंध में।

3. उपरोक्त जांच दल को निर्देशित किया जाता है कि विशेष जांच कार्य दिनांक 05.03.2026 से प्रारम्भ कर स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये अभिलेखीय साक्ष्यों सहित 15 कार्य दिवस में पूर्ण करते हुये विशेष जांच प्रतिवेदन 04 प्रतियों में (दो मूल प्रति सहित) मय परिशिष्टो के निदेशालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

Sd
(कीर्ति जैन)
निदेशक

क्रमांकः एफ.7(वि.जाँ.) /2025–26/ 3571-85 दिनांक :– 24.2.26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. अधीक्षक, टी.बी. अस्पताल, शास्त्री नगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विशेष जांच दल को जांच कार्य हेतु वांछित रिकॉर्ड उपलब्ध कराते हुए जांच में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
8. प्रभारी, आंतरिक जांच शाखा/भौतिक सत्यापन/संस्थापन/लेखा/रोकड़ शाखा।
9. संबंधित जांच दल प्रभारी/सदस्य श्री भगवान सहाय मीणा, लेखाधिकारी/श्री हेमन्त बिलाला, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, एवं श्री रवि मीना, कनिष्ठ लेखाकार, को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार विशेष जांच कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।
10. सूचना सहायक, निदेशालय, निरीक्षण विभाग, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रभारी, विशेष जांच दल को ई–मेल द्वारा भिजवाया जाना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करावें।
11. रक्षित पत्रावली।

(स्मिता सरीन)
अतिरिक्त निदेशक (अंकेक्षण)